भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 27*

(04 फरवरी, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधान मंत्री आवास योजना की निधि का अन्यत्र उपयोग

27*. श्री अरविंद धर्मापुरी:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत जारी धनराशि का अन्य प्रयोजनों तथा राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के लिए उपयोग किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान तेलंगाना राज्य को प्रत्येक वर्ष आवंटित धनराशि तथा उस धनराशि के किसी भी अन्यत्र उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अब तक जारी धनराशि के लिए राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) धनराशि के उपयोग के संबंध में जारी मानदंडों और दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए राज्यों को निर्देश दिए जाने के संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*****

प्रधान मंत्री आवास योजना की निधि का अन्यत्र उपयोग के संबंध में लोक सभा में दिनांक 04.02.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्र.सं. 27 (7वां स्थान) के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत पीएमएवाई-जी के 'कार्यान्वयन की रूपरेखा (एफएफआई)' के अनुसार निधियां जारी की जाती हैं। एफएफआई के पैरा संख्या 10.1 के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राज्य स्तर पर किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एकल बचत खाता खोलेंगे जो राज्य नोडल खाता (एसएनए) कहलाता है। राज्यों द्वारा केंद्रीय आवंटन और इसका शेष राज्य अंश एसएनए में जमा किया जाएगा। एसएनए आवास सॉफ्ट और पीएफएमएस पर भी पंजीकृत होंगे। ये एसएनए निधि अंतरण आदेश (एफएफटीओ) के माध्यम से केवल इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रचालित किए जाएंगे, जो आवास सॉफ्ट पर दर्ज किए जाते हैं और किसी अन्य पद्धति से आहरण की अनुमति नहीं है। अतः इलैक्ट्रॉनिक रूप से निधियों के अन्यत्र उपयोग की कोई संभावना नहीं है।

राज्य एफएफआई के प्रावधानों का पालन करें यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों द्वारा उपयोग प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षा रिपोर्टें प्रस्तुत की जाती है जिनकी बाद में केंद्रीय सरकार द्वारा जांच की जाती है। इसके अलावा, सभी स्तरों पर पीएमएवाई-जी के खाते नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा और ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंतरिक लेखा परीक्षा स्कंध द्वारा लेखा परीक्षा के लिए उपलब्ध रहते हैं।

तेलंगाना राज्य के लिए पीएमएवाई-जी के तहत वर्ष 2016-17 की पहली किश्त के रूप में 190.79 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई थी। राज्य के लिए इसके पश्चात कोई निधि जारी नहीं की गई है। एमआईएस आवाससॉफ्ट पर न तो वास्तविक प्रगति दर्शाई गई है और न ही राज्य से अब तक उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं। तदनुसार, राज्य से जारी की गई निधियां शीघ्र लौटाने के लिए अनुरोध किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने इस योजना के तहत जारी की गई निधियों के अन्य प्रयोजन/योजना के लिए उपयोग की सूचना नहीं दी है। पीएमएवाई(यू) के तहत तेलंगाना राज्य के लिए 1,86,786 आवास अनुमोदित किए गए हैं जिसमें 2,801.79 करोड़ रूपए की केंद्रीय सहायता शामिल है जिसमें से राज्य सरकार के लिए पहली किस्त के रूप में 1,120.72 करोड़ रूपए (वित्तीय वर्ष 2015-16 में 261.76 करोड़ रूपए, वित्तीय वर्ष 2016-17 में 136.90 करोड़ रूपए, वित्तीय वर्ष 2017-18 में 722.06 करोड़ रूपए) जारी किए गए हैं। इसके अलावा, तेलंगाना राज्य में 28,876 लाभार्थियों ने आवास ऋण की सुविधा से आवास प्राप्त किए हैं और पीएमएवाई (यू) की साख संबद्ध राजसहायता योजना (सीएलएसएस) के तहत 643.11 करोड़ रूपए की ब्याज सहायता का लाभ उठाया है। तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य को जारी केंद्रीय सहायता की 1,120.72 करोड़ रूपए की समस्त राशि के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिए हैं।

इस स्कीम के तहत निधियां जारी करते हुए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश दिए जाते हैं कि निधियां योजना के दिशा-निर्देशों में किए गए प्रावधानों के अनुसार केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी जिनके संबंध में जारी की गई हैं।

*****